.06.2019

अधिवक्ता वादी श्री हुकमसिंह उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 लगाय 8 व 10 लगाय 13 के अधिवक्ता श्री शंकरलाल मीणा उपस्थित। प्रतिवादी सख्या 14, 15, 16 से 23 के अधिवक्ता अनुपस्थित।

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से लगाय 8 व 10 से लगाय 13 की ओर से वाद पत्र मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति अधिवक्ता वादी को दिलाई गई। प्रार्थना पत्र का जबाव अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 11.06.2019 को प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 2 से 8 व 10 से 13 को दिलाई गई।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस कथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी बाबत लम्बे समय तक तलबाना प्रस्तुत नही करने से लोक अदालत कोर्ट केम्प सादडी मे वादी की उपस्थिति में दिनांक 30.06.2017 को सीपीसी के प्रावधानानुसार आदेश 09 नियम 02 सीपीसी के तहत खारिज किया गया। दिनांक 09.11.2017 को अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर दिनांक 30.06.2017 को पारित आदेश को अपास्त कर वाद पुनः रेस्टोर कर सुनवाई हेतु लिये जाने का न्यायालय को निवेदन करने पर वाद को रेस्टोर के आदेश दिये गये। आदेश 09 नियम 2 सीपीसी के तहत पारित आदेश को अपास्त करने की शक्ति उसी न्यायालय को नही है। फिर भी बिना विधिक प्रकिया के उक्त वाद को विधि विरूद्ध रेस्टोर किया गया है। उक्त चलने योग्य नही है।आदेश 9(2) के तहत खारिज किये गये आदेश के विरूद्ध अपील बोर्ड मे होता है। वाद तलबी मे लम्बे समय से लम्बित था। एक भी नोटिस तामील नही हुआ। अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि उक्त वाद मे वादी वादग्रस्त आराजी मे राजस्थान टिटेन्सी एक्ट प्रभाव मे आने एवं लागू होने से पूर्व में भी खातेदार नही था तथा ना ही उसका कब्जा काश्त था व आज भी खातेदार नहीं है। जिससे वादी को वाद प्रस्तुत का हक अधिकार नही है, न ही वाद हेतुक उत्पन्न होता है जिससे वादी का वाद मेन्टेनेबल नही होने से खारिज फरमावे।

अधिवक्ता वादी ने जबाव के तथ्यो को दोहराने हुए बहस के दौरान व्यक्त किया कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मेन्टेनेबल नही है इनको आदेश के विरूद्ध अपील मे जाना था। लोक अदालत के आदेश पारित हुआ। वादी द्वारा आदेश 9 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर वाद पुनः दर्ज किया गया। जिसकी कोई अपील व रिवीजन नही हुआ है। न्यायालय मे पीएफ सम्मन प्रस्तुत कर दिये थे। आदेश 9 नियम 4 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के आदेश को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत चेलेन्ज कानूनन नही किया जा सकता है। अपनी पुश्तैनी भूमि की खातेदारी हेतु वाद पेश किया है। जिसका निर्णय मेरिट पर सुनवाई वाद किया जावेगा। प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। वकील वादी ने बहस के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये :–

1. 2017 (2) आरआरटी पेज नम्बर 864 राज. उच्च न्यायालय जयपुर बेंच

2. 2019 (1) आरआरटी पेज 116 राजस्व मण्डल अजमेर
3. 2019 (1) आरआरटी पेज 264।
4. 2018 (1) आरआरटी पेज 534।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली मूल वाद मय उपलब्ध दस्तावेज राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का भी अध्ययन किया गया।

पत्रावली के बाद अवलोकन अध्ययन से यह जाहिर होता है कि वादीगण लम्बे समय से प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तलबाना व सम्मन प्रस्तुत नही करने पर न्यायालय द्वारा वादी की उपस्थिति मे दिनांक 30.06.2017 को लोक अदालत केम्प सादडी मे आदेश 09 (2) सीपीसी के तहत खारीज किया गया। वादी द्वारा उक्त आदेश के खारिज कर वाद को पुनः रेस्टोर हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने दिनांक 09.11.2017 को पीएफ व सम्मन पत्रावली मे उपलब्ध होना बताकर पारित आदेश 30. 06.2017 को अपास्त कर वाद पुनः रेस्टोर के आदेश पारित किये गये है। न्यायालय द्वारा आदेश 09 (2) सीपीसी के तहत पारित आदेश को अपास्त की शक्ति इस न्यायालय को नही होकर वादी को उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय बोर्ड के अपील करनी थी। जो वादी द्वारा नही करना जाहिर होता है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि पुराने ख.न. 240 रकबा 3 बीघा 1 बीस्वा की जमीन रूपा पुत्र कला, लाला पुत्र पन्ना भांबी की खातेदार की कब्जा काश्त की नही है। बल्कि प्रतिवादी सं 1 से 7 के पूर्वज जमरूदीन, कासू खा, उमराव खां पुत्र जवाहर खां कौम कायमखानी सा. सादडी द्वारा ईक्कीस रूपये छः आना मे खरीदा गया। राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद रियासत जोधपुर के रिकोर्ड ऑफिसर व तहसीलदार देसूरी द्वारा एनएलआर 1519/6.04.1954 को जरिये मिसल ता 6/53–54 के अनुसार हुआ। तत्पश्चात सरकार द्वारा प्रथम सेटलमेंट किया गया। उसके बाद द्वितीय सेटलमेंट हुआ व आर.टी. एक्ट 1955 लागू हुआ। उसके पहले प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पूर्वजो का कब्जा व खातेदारी अधिकार प्राप्त थे व उसके बाद वर्तमान मे प्रतिवादीगण की खातेदारी की है। पुराने खसरा नम्बर 240 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 973 से 984 कुल खसरा नम्बर 12 कुल रकबा 6.1300 हैक्टर बने। लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रथम सेटलमेंट की कार्यवाही हुई। उससे पूर्व सम्पूर्ण सम्पति सादडी की कृषि भूमि व आबादी रियासत जोधपुर श्री दरबार राज मारवाड के अधीन थी। तभी उसका बेचान हो गया था। एव उसी अनुसार अमलदरामद कर दिया था।

राज. टिटेन्सी एक्ट 1955 लागू हुआ। इसलिए आर.टी एक्ट की धारा 42 प्रतिवादीगण के विरूद्ध लागू नही होती है। अर्थात वादी के पिताजी रूपा द्वारा दिनांक 06.04.1954 से पहले बेचान कर दिया था। एव वादी के पिताजी की जगह जमरूदीन, कासू खां व उमराव खां को खातेदारी अधिकार भी दिनांक 06.04.1954 को प्राप्त हो गये थे जो रियासत जोधपुर व राज. सरकार द्वारा प्रथम सेटलमेन्ट के दौरान बनी जमाबन्दी सम्वत 2012–2015, 2014–2017, 2018 से 2021 व जमाबन्दी सम्वत 2030–2033, 2034–2037

आराजी का बेचान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व हो चुका था। इस कारण धारा 42 आरटी एक्ट प्रतिवादीगण के खिलाफ लागू नही होता है। तथा प्रतिवादीगण आगे से आगे हस्तांतरण करने के अधिकारी है। जिससे वादी बिना कब्जा एवं खातेदारी अधिकार के प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नही है तथा वाद 62 वर्षो के बाद विधि विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद कब्जे एवं खातेदारी अधिकारी के अभाव मे प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद लाने का अधिकारी नही है वाद म्याद बाहर है जिससे प्रतिवादी संख्या 2 लगाय 8 व 10 लगाय 13 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाता है।वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,89, 188, 92 आरटी एक्ट खारीज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 14.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सेर इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी